रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 74] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 2, 1986/चैत्र 12, 1908
No. 74] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 2, 1986/CHAITRA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 82—आई.टी.सी. (पी. एन.)/85-88

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1986

विषय:—1985-1988 की आयात और निर्यात नीति

फा. सं. 6/4/86—ई.पी.सी.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 1—आई. टी. सी. (पी. एन.)/85-88 दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अंतर्गत प्रकाशित यथा संशोधित आयात और निर्यात नीति अप्रैल 1985—मार्च 1988 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. इस नीति में नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन/शुद्धियां की गई समझी जाएं:—

क्रम सं.	आयात निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड–I) का पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन/शुद्धियां
1	2	3	4
1	72–73	अध्याय-15 पैरा 229	(1) वर्तमान पैरे को उप-पैरा 229(I) के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया माना जाए। (2) उप-पैरा 229(1) के बाद निम्नलिखित उप-पैरे जोड़े जाएंगे:— "(2) उपर्युक्त उल्लिखित तीन महीनों की अवधि के दौरान पंजीकृत विनिर्माता निर्यातक द्वारा (निर्यात सदनों और ट्रेडिंग हाउस सहित) अन्य पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से किए

1	2	3	4
			गए निर्यात ऐसे विनिर्माता निर्यातकों के निर्यात निष्पादन को आंकने के लिए भी माने जाएंगे बशर्ते कि वे संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा विनिर्मित माल का उन पंजीकृत निर्यातकों ने निर्यात किया था। ऐसे सभी पंजीकृत विनिर्माता-निर्यातकों को पास बुक प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्यक्ष रूप से निर्यात करना होगा और उन्हें किसी अन्य निर्यातक के माध्यम से निर्यात करने की सहूलियत की अनुमति नहीं दी जाएगी। (3) उस पंजीकृत विनिर्माता-निर्यातक से प्राप्त पास बुक जारी करने के लिए आवेदन पत्र पर भी विचार किया जा सकता है जिसे इस नीति के परिशिष्ट-25 की विशिष्ट क्रम सं0 या उप क्रम सं0 के अधीन आने वाले उत्पाद के मद्दे शुल्क छूट स्कीम या अग्रदाय लाइसेंस स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किये गए है बशर्ते कि ऐसे लाइसेंसों के मद्दे 75% या इससे अधिक कुल निर्यात आभार पूरा कर दिया गया हो। इस प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।"
2.	72—73	अध्याय—15 उप-पैरा 230(2)	इस उप पैरा के बाद में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— "इस उप पैरा में उल्लिखित "निर्यात" में इस नीति पुस्तक के उप पैरा 190 (ख), (च) (छ) और (झ) के अन्तर्गत आए हुए डीम्ड निर्यात भी शामिल होंगे।"
3.	72—73	अध्याय—15 उप पैरा 231(3)	वर्तमान उप पैरा के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— "(4) सम्बन्धित परियोजना का मुख्य कार्यकारी प्रभारी"
4.	72—73	अध्याय—15 उप पैरा—234 (2)	यह उपपैरा नीचे अनुसार ठीक कर दिया गया समझा जाएगा :— आयात निर्यात पास बुक लाइसेंस धारी द्वारा विनिर्मित माल का भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित एकक को या अनुमोदित 100 % निर्यात अभिमुख उस यूनिट को संभरण जिसे देश से बाहर निर्यात करने के लिए अपने परिष्कृत माल के निर्माण में उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए इन मध्यस्थ उत्पादों की आवश्यकता है या आई बी आर डी. / आई. डी.ए द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं के साथ किए गए ठेकों के मद्दे या बहुपर्क्षीय और द्विपक्षीय विदेशी सहायता द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के साथ साथ किए गए ठेकों के मद्दे और इस नीति के उप पैरा 190 (ख), (च), (छ) और (झ) के अंतर्गत प्राकृतिक तेल एवं गैस आयोग/भारतीय तेल लि./ भारतीय गैस प्राधिकरण लि. के साथ किए गए ठेकों के मद्दे भारत में परियोजनाओं को किया गया। परिष्कृत माल का संभरण डीम्ड निर्यात के रूप में समझा जाएगा और उसे निर्यात आभार पूरा करने के लिए गिना जाएगा।
(5)	83	अध्याय 21 भाग (ख) व्यापार सदन उप पैरा 274(च)	इस उप पैरा का पहला वाक्य नीचे अनुसार संशोधित किया जाएगा। :— "उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित तीन उत्पाद समूहों में से, प्रत्येक समूह में निर्यात का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य मान्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात निष्पादन स्तर से 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।"
(6)	347	परिशिष्ट 24 नए उत्पाद का अथवा नए बाजार के लिए निर्यात कालम —3, क्रम सं 14—स्टीलपाइप	"यू. एस. एस. आर, के पश्चात् आस्ट्रेलिया जोड़ा जाएगा।"

3. उपर्युक्त संशोधन /छूटियां सार्वजनिक हित में की गई है।

राजीव लोचन मिश्र,
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 82-ITC (PN)/85-88

New Delhi, the 2nd April, 1986

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March 1988.

F. No. 6/4/86-EPC :—Attention is invited to the Import and Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments/corrections shall be deemed to have been made in the policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy, 1985—88 (Vol. I)	Reference	Amendment/Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	72–73	Chapter-XV Para 229	(1) The existing para shall be deemed to have been renumbered as sub-para 229(1). (2) After the sub-para 229(1), the following sub-paras shall be added :— "(2) The exports effected by a registered monufacturer exporter through other registered exporters (including Export Houses/Trading Houses) during the period of three years, as mentioned above, will also be taken into account for counting the export performance of such manufacturer-exporters provided they can give clear cut evidence to the satisfaction of the concerned licensing authority to prove that the goods manufactured by them were exported by those registered exporters. All such registered manufacturer-exporters after receipt of the Pass Book shall be required to export directly and shall not be permitted the facility of exports through any other exporter." "(3) Applications for issue of Pass Book Licence from Registered Manufacturer-Exporters, who have been issued licences under the Duty Exemption Scheme or Imprest Licensing Scheme against a product falling under a particular serial number or sub-serial number of Appendix-25 of this policy, may also be considered provided 75% or more of total export obligation has been fulfilled against such licences for this purpose, documents as are required by the licensing authorities shall be furnished by the applicant."
(2)	72–73	Chapter-XV Sub-para 230(2)	The following shall be added at the end of this sub-para :— "The "exports" referred to in this sub-para will include deemed exports as covered by sub-paras 190(b), (f), (g) and (i) of this Policy Book."
(3)	72–73	Chapter-XV Sub-para 231(3)	The following shall be added after the existing sub-para : "(iv) Chief Executive incharge of the project concerned."

(1)	(2)	(3)	(4)
(4)	72–73	Chapter-XV Sub-Para 234(2)	The sub-para shall be deemed to have geen corrected as under:— ("The supplies of the finished goods manufautured by Import-Export Pass Book Licence holder to a unit) located in a Free Trade Zone in India or to an approved 100% Export Oriented Unit which require these as intermediate products for their own use in the manufacture for their finished goods for exports out of the country or supplies of finished goods made to projects in India against contracts entered into with IBRD/IDA aided projects or projects financed by multilateral and bilateral external assistance and ONGC/OIL/GAIL as covered by sub-paras 190(b), (f), (g) and (i) of this policy will be treated as Deemed Exports and will be counted towards fulfilment of Export obligation."
(5)	83	Chapter-XXI Part-B Trading Houses Sub-para 274(d)	The first sentence of this sub-para shall be amended as under:— "Amongst the three product groups referred to in (b) above, the f.o.b. value of exports in each group should not be less than 15 percent of the minimum export performance level fixed for recognition."
(6)	347	Appendix-24 Export of new products or to New Markets. 1. Column 3 Sl. No. 14-Steel pipes.	"Australia shall be added after USSR."

3. The above amendments/corrections have been made in the public interest.

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986